



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224526
CG-DL-E-18012021-224526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 236(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिसंबर, 2020 से नवंबर, 2021 के बीच में एक जनरेटर स्टेटर जीई पावर, सानंद, गुजरात से कांडला पोर्ट, गुजरात तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

- मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, उपरोक्त यातायात के लिए मै. ड्यूग्री प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के लिए यातायात कम्पनी है।
- प्राईम मूवर्स (ट्रेक्टर): उपरोक्त कंसाईनमेंट के परिवहन में निम्नलिखित आठ प्राईम मूवर्स इस्तेमाल किए जाएंगे :

क. सं.	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक	पंजिकृत स्वामी
1	जीजे 12 बीवी 0415	वोल्वो	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
2	जीजे 12 बीवी 0015	वोल्वो	
3	एमएच 06 एसी 8289	वोल्वो	
4	एमएच 06 एक्यू 1289	वोल्वो	
5	एमएच 06 एसी 5416	वोल्वो	
6	एमएच 46 एच 1064	वोल्वो	

7	एमएच 06 एक्यू 1290	वोल्वो	
8	जीजे 12 ऐज 3302	वोल्वो	

3. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:

क्रम सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण-पत्र के अनुसार (टनों में)	पंजिकृत स्वामी
1	जीजे 12 एटी 7526	4	32	72(18X4)	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
2	जीजे 12 एटी 7528	4	32	72(18X4)	
3	जीजे 12 जेड 0140	4	32	72(18X4)	
4	जीजे 12 जेड 0139	4	32	72(18X4)	
5	जीजे 12 एटी 7530	8	64	144(18X8)	
6	जीजे 12 जेड 0138	6	48	108(18X6)	
7	जीजे 12 एटी 9598	6	48	108(18X6)	
8	जीजे 12 जेड 4079	4	32	72(18X4)	
9	जीजे 12 जेड 4076	4	32	72(18X4)	
10	जीजे 12 एटी 9596	8	64	144(18X8)	
11	जीजे 12 जेड 0137	4	32	72(18X4)	
12	जीजे 12 जेड 3452	6	48	108(18X6)	
13	जीजे 12 जेड 3453	6	48	108(18X6)	
14	जीजे 12 जेड 3450	4	32	72(18X4)	
15	जीजे 12 जेड 3449	4	32	72(18X4)	
16	जीजे 12 जेड 3451	4	32	72(18X4)	
17	जीजे 12 जेड 4075	6	48	108(18X6)	
18	जीजे 12 जेड 0136	6	48	108(18X6)	
19	जीजे 12 एटी 7539	8	64	144(18X8)	

4. वाहन और भार विन्यास: लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :-

खाली भार (टन)	स्टेटर्स का भार(टन)	धूरियों का कुल सकल भार	कन्साइनमेंट का कुल माप (एम.एम. में) (लम्बाई x चौड़ाई x उचाई)	चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियों को जोड़ने का विवरण
16 (1+1) खाली धूरी पंक्ति का भार: 242.36 टन	396.80 टन	639.16 टन	10814 X 4900 X 4740	1+1 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (32 धूरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में - गर्डर ब्रिज) में जोड़ा जाएगा (एक धूरी पंक्ति में 12 टायर) ।

5. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है:-

- उपरोक्त जनरेटर स्टेटर के यातायात हेतु विशेष रास्ता जीई पावर, सानंद, गुजरात - चरोड़ी - वीरमगाम - बेहकारजी - मेहसाणा बाईपास - पालनपुर - डीसा - राधनपुर - समखियाली- भचाऊ -गांधीधाम जंक्शन - कांडला पोर्ट, गुजरात रोड है।
- लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से

- अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झड़ियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई जिम्मेवार होगा।
- (v) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।
- (vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (vii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (viii) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ix) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (x) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xi) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पार्ट्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई का होगा।
- (xii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiii) ट्रेलरों के यातायात हुतु चौड़ाई में धूरियों को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाईपास बनाना या अन्य उपाय किए जाएंगे।
- (xiv) ट्रेलरों एवं प्राइम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पंजीकृत हैं।

[सं. आर.टी-11042/09/2020-एम.वी.एल.]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 236(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one Generator Stator during the period from December, 2020 to November, 2021 from GE Power, Sanand, Gujarat to Kandla Port, Gujarat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s. Deugro Projects (India) Private Limited for the aforesaid movement.

2. Prime Movers (Tractors): Total 8 (Eight) prime movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:

Sl. No.	Registration No. of Tractor	Make	Registered Owner
1	GJ12BV0415	Volvo	M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai
2	GJ12BV0015	Volvo	
3	MH06AC8289	Volvo	
4	MH06AQ1289	Volvo	
5	MH06AC5416	Volvo	
6	MH46H1064	Volvo	
7	MH06AQ1290	Volvo	
8	GJ12AZ3302	Volvo	

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	No. of Axles in Trailers	No. of Tyres in Trailers	GVW as per CMVRs, 1989.
1	GJ 12 AT 7526	04	32	72(18x4)
2	GJ 12 AT 7528	04	32	72(18x4)
3	GJ 12 Z 0140	04	32	72(18x4)
4	GJ 12 Z 0139	04	32	72(18x4)
5	GJ 12 AT 7530	08	64	144(18x8)
6	GJ 12 Z 0138	06	48	108(18x6)
7	GJ 12 AT 9598	06	48	108(18x6)
8	GJ 12 Z 4079	04	32	72(18x4)
9	GJ 12 Z 4076	04	32	72(18x4)
10	GJ 12 AT 9596	08	64	144(18x8)
11	GJ 12 Z 0137	04	32	72(18x4)
12	GJ 12 Z 3452	06	48	108(18x6)
13	GJ 12 Z 3453	06	48	108(18x6)
14	GJ 12 Z 3450	04	32	72(18x4)
15	GJ 12 Z 3449	04	32	72(18x4)
16	GJ 12 Z 3451	04	32	72(18x4)
17	GJ 12 Z 4075	06	48	108(18x6)
18	GJ 12 Z 0136	06	48	108(18x6)
19	GJ 12 AT 7539	08	64	144(18x8)

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen Weight in Tons	Weight of Consignment in Tons	GVW of the axles required	Overall dimension of consignment (in MM) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
Unladen weight of 16+16 Nos. (1+1) axle : 242.36 Tons	396.80 tons	639.16 tons	10814 x 4900 x 4740	16 axle rows having 1+1 axles line in each row (equivalent to total 32 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1 axle width (12 tyres per axle row).

5. The above relaxation is subject to the conditions that :-

- (i) The specific route for transportation of Generator Stator will be from GE Power, Sanand, Gujarat – Charodi –Viramgam - Behcarji - Mehsana Bypass – Palanpur - Deesa – Radhanpur – Samakhiali – Bhachau - Gandhidham Junction - Kandla Port, Gujarat by road.
- (ii) Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers and their timings will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Any issue arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai.
- (v) M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai after getting the approval from the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory, in such cases applicants will have to make their own arrangements in consult with the concerned authorities to cross the rivers/drains.
- (vii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (viii) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hour.
- (ix) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the consignment mounted on the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.
- (x) M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the consignment.
- (xi) M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

- (xii) Company will ensure that the validity of all documents (like road tax, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and Pollution under Control) during the movement of consignment from the point of origin to the destination.
- (xiii) In case, the width after sideways coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes, measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xiv) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat and Maharashtra.

[No. RT-11042/09/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.